रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2012/आषाढ़ 14, 1934
No. 1267] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2012/ASADHA 14, 1934

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.आ. 1505(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समाकलित वित्त स्कंध के आर्थिक सलाहकार को आयोग की बैठकों में उपस्थित रहने और उसकी चर्चाओं में समाकलित वित्त स्कंध के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए नामनिर्देशित करती है :

परन्तु नामनिर्देशित अधिकारी को मताधिकार नहीं होगा ।

[फा. सं. 6(1)/2011-केवीआई-II]

दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2012

S.O. 1505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby nominates the Economic Advisor of Integrated Finance Wing of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to attend the meetings of the Commission and to take part in the discussions thereof as representative of Integrated Finance Wing :

Provided that the nominated officer shall not have the right to vote.

[F. No. 6(1)/2011-KVI-II]

DINESH SINGH, Jt. Secy.

2460 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.